भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3931
गुरूवार, 6 अप्रैल, 2023/16 चैत्र, 1945 (शक)

रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण और इसके माध्यम से नौकरी मिलना

3931. श्री धीरज प्रसाद साहूः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास विगत दो वित्तीय वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों के अंतर्गत होने वाले पंजीकरणों की संख्या का आंकड़ा है;
(ख) यदि हां, तो झारखंड राज्य में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कितनी नौकरियां मिली हैं;
(ग) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने पर विशेष ध्यान दे रही है; और
(घ) यदि हां, तो विगत वर्ष के दौरान राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी महिलाओं को नौकरी मिली है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): राज्य/केंद्र शासित राज्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर, उन रोजगार चाहने वालों (नियोजित/बेरोजगार) जिन्होंने अपने को वर्ष 2021 और वर्ष 2022 के दौरान रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत कराया था, की संख्या क्रमशः 32.24 लाख और 39.97 लाख थी।

झारखंड के रोजगार कार्यालयों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, उन रोजगार चाहने वालों (नियोजित/बेरोजगार) जो वर्ष 2021 और वर्ष 2022 के दौरान नियोजित हुए थे, की संख्या क्रमश: 3.01 हजार एवं 11.12 हजार थी।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े संग्रह किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2017-18 के दौरान 22.0% से बढ़कर वर्ष 2021-22 के दौरान 31.7%, हो गई है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी एवं उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में सुरक्षा के अनेकों प्रावधान शामिल किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में वेतन सहित प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने और 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति प्रदान करने आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य माहौल (ओएसएच) संहिता, 2020 में खुली खुदाई वाले कार्यों सहित भूमि से ऊपर की खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और भूमिगत खदानों में, तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति प्रदान करने के प्रावधान हैं।

मजदूरी संहिता, 2019 में प्रावधान हैं कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय प्रवर्तित किसी भी कानून द्वारा उसके तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो, के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

इन उपायों के साथ-साथ, भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 06.04.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3931 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के महिलायों की राज्य/केंद्र शासित राज्य-वार अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) का ब्यौरा

क्र.सं.	**राज्य/केंद्र शासित राज्य-वार**	**2021-22**
1.	आंध्र प्रदेश	41.8
2.	अरुणाचल प्रदेश	28.2
3.	असम	26.8
4.	बिहार	9.9
5.	छत्तीसगढ	50.6
6.	दिल्ली	11.5
7.	गोवा	16.6
8.	गुजरात	33.9
9.	हरियाणा	17.4
10.	हिमाचल प्रदेश	63.8
11.	झारखंड	44.8
12.	कर्नाटक	31.0
13.	केरल	32.0
14.	मध्य प्रदेश	40.6
15.	महाराष्ट्र	37.3
16.	मणिपुर	20.3
17.	मेघालय	48.4
18.	मिजोरम	32.0
19.	नागालैंड	46.4
20.	ओडिशा	31.4
21.	पंजाब	21.9
22.	राजस्थान	39.0
23.	सिक्किम	56.5
24.	तमिलनाडु	39.1
25.	तेलंगाना	42.6
26.	त्रिपुरा	25.5
27.	उत्तराखंड	31.6
28.	उत्तर प्रदेश	25.8
29.	पश्चिम बंगाल	27.4
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	39.2
31.	चंडीगढ़	15.5
32.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	39.4
33.	जम्मू और कश्मीर	41.1
34.	लद्दाख	45.8
35.	लक्षद्वीप	10.9
36.	पुडुचेरी	34.4
	अखिल भारत	**31.7**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई